न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या 46/2024 दायर दिनॉक 28.03.2024

वादी		प्रतिवादी
1. रामेश्वर राम पुत्र श्री पुसाराम जाति जाट निवासी चौलूखॉ तहसील मौलासर जिला डीडवाना- कुचामन राज0।	बनाम	1. तहसीलदार मौलासर। 2. चुनाराम पुत्र पुसाराम 3. देवाराम पुत्र किशनाराम 4. प्रभाती देवी पुत्री चतराराम 5. पीथाराम पुत्र श्री पुसाराम 6. भंवराराम पुत्र हेमाराम 7. भंवरी पत्नी चतराराम 8. भोलाराम पुत्र पुसाराम 9. राजेन्द्रसिंह पुत्र चतराराम समस्त जाति जाट निवासी चौलूखां तहसील मौलासर जिला डीडवाना-कुचामन।

राजस्व-वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः-

श्री वी. पी. सिंह अधिवक्ता वादी।

श्री नेमीचन्द शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 ता 9

-:: **निर्णय** ::-

दिनॉक 25.02.2025

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि सरहद चौलूखॉ में वादी का खेत खसरा सं0 111 रकबा 1.8700 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 441 रकबा 5.9700 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 446 रकबा 5.8300 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 94 रकबा 0.6000 हैक्टे0 बारानी 1 में स्थित है। इस खसरा में राजस्व कर्मचारीयों की भूल/सहवन से वादी का नाम पेमाराम पुत्र पुसाराम दर्ज हो रखा है, जबकि वादी के नाम से जारी समस्त सरकारी व अर्द्ध सरकारी दस्तावेजो में रामेश्वर राम पुत्र पुसाराम वर्णित है। उसी अनुरूप आधार कार्ड, बैंक डायरी, निर्वाचन-पत्र आदि सभी दस्तावेजो में वादी का नाम रामेश्वर राम पुत्र पुसाराम ही दर्ज है। केवल मात्र वर्तमान राजस्व रेकर्ड की खातेदारी की भूमि में पेमाराम पुत्र पुसा राम दर्ज होने से वादी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए पेमाराम पुत्र पुसाराम का नाम हटाया जाकर प्रार्थी रामेश्वर राम पुत्र पुसाराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। इसी बाबत यह प्रार्थना पत्र द्वारा रिकॉर्ड दुरूस्ती का वाद पेश है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः-

राजस्व ग्राम चौलूखॉ के खेत खसरा सं. 111, 441, 446 व 94 में वादी पेमाराम पुत्र पुसाराम के स्थान पर रामेश्वर राम पुत्र पुसाराम खातेदारी में इन्द्राज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किया जाने का आदेश सादर फरमावें तथा इसी [illegible] दुरूस्ती कर वादी रामेश्वर राम पुत्र पुसा राम के नाम से खातेदारी [illegible] जावें।

वादी का [illegible] तहसीलदार मौलासर [illegible] पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/1227 दिनांक [illegible]12.2024 के द्वारा रिपोर्ट [illegible] हुई एवं अप्राथी सं. 2 ता 9 की ओर से अधिवक्ता नेमीचन्द शर्मा ने इकबालिया जवाब पेश किया।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:01:03 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। ग्राम चौलूखॉ के खेत खसरा सं. 111, 441, 446 व 94 में वादी पेमाराम पुत्र पुसाराम के स्थान पर रामेश्वर राम पुत्र पुसा राम दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट के अनुसार वादी रामेश्वर राम उर्फ पेमाराम पुत्र पूसाराम का राजस्व ग्राम चौलूखां की वर्तमान जमाबंदी में खाता सं. 131, खसरा सं. 94, 111, 441 व 446 में पेमाराम पुत्र पूसाराम जाति जाट सा0 देह दर्ज है। जांच के दौरान सभी दस्तावेजों में वादी का नाम रामेश्वर राम पुत्र पूसाराम दर्ज है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 ता 9 ने अपने इकबालिया जवाब में प्रार्थी के गलत नाम के अंकन को दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ की है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, तहसीलदार मौलासर से प्राप्त रिपोर्ट, अप्रार्थी के इकबाली जवाव एवं विद्वान अभिभाषक की बहस के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के सही अंकन होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

—:: आदेश ::—

सरहद ग्राम चौलूखॉ के खेत खसरा सं. 111, 441, 446 व 94 में वादी पेमाराम पुत्र पुसाराम के स्थान पर पेमाराम उर्फ रामेश्वर राम पुत्र पुसाराम दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 25.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:01:03 IST
Reason: SelfAttested